न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1/2020 (राजसमन्द आर्डर)

शिवशंकर पिता श्री अम्बालाल आमेटा, निवासी केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. तुलसीराम पिता प्रताप जी लौहार, नि0 आंतरी, तह0 कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
2. छगनलाल पिता चुन्नीलाल जी लौहार, नि. आंतरी, त. कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
3. रतनलाल पिता चुन्नीलाल जी लौहार, नि. आंतरी, त. कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
4. गणेश पिता भूरालाल जी लौहार, नि0 आंतरी, तह0 कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
5. शान्तिलाल पिता तुलसीराम जी लौहार, निवासी आंतरी, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ दिनांक
29–08–2019 प्रकरण संख्या 10/2019

———::———

उपस्थित :– 1– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एस.एल. मेघवाल अभिभाषक रे.सं. 1, 2, 3, 5

———::———

निर्णय **दिनांक 19–10–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव आंतरी में आराजी नंबर 2776/1031 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसे पूर्व खातेदार द्वारा विभाजन हो जाने से सहखातेदार द्वारा अपने 6/172 हिस्सा प्रार्थी को विक्रय किया जाकर मौके पर कब्जा सिर्पुद किया गया है, तब से प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर काश्त आ रहा है। विपक्षीगण का प्रार्थी की आराजी में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन कब्जा करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:13 IST
Reason: SelfAttested

पर आमादा है। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे तथा दौराने सुनवाई विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवा लिया जाता है तो उसे विपक्षीगण के खर्चे से हटाया जाकर पूर्व की स्थिति कायम करायी जावे।

विपक्षीगण ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्त आराजी के पास ही विपक्षीगण के खाते की आराजी नंबर 1022, 1025, 1026, 1029, 1030, 1032 से 1044, 2253 से 2256, 2260 से कुल किता 23 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा 10 बिश्वांसी भूमि स्थित है। अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में प्रार्थी विपक्षीगण की उक्त आराजियात पर कब्जा करना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 29–08–2019 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षों को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्राथी ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–01–2020 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3, 5 की ओर से वकील श्री एस. एल. मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं दी गयी, दिनांक 23–12–2019 को अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः विलम्ब कण्डोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 76/1031 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:13 IST
Reason: SelfAttested

में अपीलान्ट का 6/172 हिस्सा निहित है तथा अन्य सहखातेदार भी अपने–अपने हिस्से की आराजियात पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि में रेस्पोन्डेन्ट का कोई हक अधिकार नहीं है, न ही रेस्पोन्डेन्टगण उक्त आराजियात के सहखातेदार हैं। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की आराजी के संबंध में रेस्पोन्डेन्ट के साथ–साथ अपीलान्ट को भी मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश से पाबन्द कर दिया, जो विधि एवं न्याय के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाही गयी दाद उसे दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि मौके पर पक्षकारों के मध्य विवाद को रोकने के उद्देश्य से अधिनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद प्रकरण में यह माना कि उभयपक्ष एक दूसरे के पडोसी खातेदार हैं एवं इनके बीच कब्जे की स्थिति को लेकर गहरा विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में न्यायालय हाजा में वाद भी दर्ज कर रखा है। विवादित भूमियों के संबंध में अंतिम विनिश्चयन वाद में साक्ष्य सबूतों के उपरान्त गुणावगुण पर होना है। इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षों को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–08–2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 19–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:13 IST
Reason: SelfAttested